न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— नरेन्द्र के. वर्मा (आर०ए०एस०)
अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर

अपील नम्बर 24/2018

(आर सी एम एस नम्बरः— 2018/00028)

उनवान प्रकरण

1—अमरसिंह	पुत्रगण	समस्त जातिगण कुशवाह
2—टीकमसिंह	नारायनसिंह उर्फ करूआ	
3—लोकेन्द्र		निवासीगण गाम शाला का पुरा
4—राजवती	पुत्रियान	उप तहसील मनिया
5—हेमवती	नारायनसिंह उर्फ करूआ	तहसील व जिला धौलपुर

.....अपीलान्टस

बनाम

1—नायव तहसीलदार मंनिया, उप तहसील मनियॉ तहसील व जिला धौलपुर
2—शारदा पत्नी गोपीचन्द उर्फ गजेन्द्र जाति कुशवाह निवासी परौआ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

.....रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्व नामान्तरकरण सं० 486 आदेश दिनांक 25.05.2018 बांके ग्राम शाला का पुरा द्वारा नायव तहसीलदार मंनिया

उपस्थिति अभिभाषक :—

अपीलान्ट की ओर से :— श्री सुरेन्द्र कुमार दुवे एडवोकेट
रेस्पो०सं० 1 की ओर से :—श्री गोपालनारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक
रेस्पो०सं० 2 की ओर से :— —

निर्णय

दिनांक : 11.03.2020

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई है कि आराजीयात मुन्दर्जे नामान्तकरण संख्या 486 बांके ग्राम शाला का पुरा तहसील व जिला धौलपुर के खातेदार काश्तकार अजनसिंह पुत्र नारायनसिंह उर्फ करूआ जाति कुशवाह निवासी शाला का पुरा थे तथा उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर अजनसिंह अपने जीवन पर्यन्त बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज काश्त रहे। अजनसिंह का निधन स्वभाविक रूप से सन 2016 में लाबल्द बिला जौजे फोत हो गया। विवादित आराजीयात में मृतक

अति० जिला कलक्टर
धौलपुर

अजनसिंह द्वारा छोडा गया समस्त तर्का मुताविक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अपीलांटस पर वहिस्सा बराबर–बराबर के प्रकान्त हुआ। रेस्पोडेन्ट संख्या–2 शारदा पत्नी गोपीचन्द उर्फ गजेन्द्र सिंह का उपरोक्त वर्णित आराजीयात से कोई सम्बध व सरोकार नहीं है फिर भी रेस्पोडेन्ट संख्या–2 ने राजस्व कर्मचारियों से साज कर अपने आपको मृतक अजनसिंह की पत्नी बता कर अजनसिंह द्वारा छोडी गयी आराजी काश्त पर अपने नाम दाखिल खारिज दर्ज कर तहत नामान्तकरण आदेश पारित कराया है जो अपने आप में अवैध है। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है कि अधीनस्थ अधिकारी द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश पारित करने से पूर्व मृतक अजनसिंह के वारिसान की किसी प्रकार जांच पडताल नही की। राजस्व कर्मचारियों द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या–2 को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाने की नीयत से आपस में साज कर तहत नामान्तकरण आदेश पारित कराया है जो विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ अधिकारी द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण मुताविक रिपोर्ट हल्का पटवारी एवं शिजरा के आधार पर स्वीकार किया है जबकि नामान्तकरण पंजिका पर अंकित शिजरा में रेस्पोडेन्ट संख्या–2 शारदा को मृतक चेतराम की पत्नी अंकित किया है और नामान्तकरण पंजिका के कॉलम संख्या–7 में अजनसिंह के नाम का अंकन है तथा मृतक अजनसिंह के बजाय कॉलम संख्या–9 में रेस्पोडेन्ट संख्या–2 शारदा के नाम अवैध रूप से अंकन कर तहत नामान्तकरण आदेश पारित कराया है जो कानून की निगाह में प्रारम्भ से ही शून्य है तथा काबिल निरस्ती के है। नामान्तकरण पंजिका में अंकित रिपोर्ट आई एल आर वरैठा के मुताविक नामान्तकरण दिनांक 10.5.2015 को तस्दीक किया गया है जबकि मृतक अजनसिह पुत्र नारायनसिंह का निधन दिनांक 30.4.2016 को हुआ है इससे यह भलि भांति स्पष्ट है कि अजनसिंह के जीवित रहते हुये साजिशन मृतक अजनसिंह की विरासत को अवैध रूप से तहत नामान्तकरण आदेश पारित कराया है जो अपने आप में प्रारम्भ से ही शून्य है तथा काबिल निरस्ती के है। रैस्पो0 संख्या–2 मुताविक शिजरा अंकित नामान्तकरण पंजिका के मृतक चेतराम की पत्नी होना दर्शाया है न कि अजनसिंह की। अधीनस्थ अधिकारी द्वारा नामान्तकरण पंजिका पर परस्पर विरोधाभासी होने के बावजूद बिना जांच पडताल किये विधि द्वारा स्थापित प्रकिया के विपरीत जाकर अनुचित रूप से अधीनस्थ नामान्तकरण आदेश पारित किया है जो कि तथ्यों के सर्वथा विपरीत है तथा काबिल अपास्ती के है। नामान्तकरण आदेश का ज्ञान सर्व प्रथम अपीलांट को दिनांक 09.08.2018 को हल्का पटवारी से हुआ उसी दिन अपीलान्ट ने तहत नामान्तकरण की नकल हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार धौलपुर के यहाँ प्रस्तुत किया जिसकी नकल अपीलांट को दिनांक 16.08.2018 को प्राप्त हुई। ज्ञान से अन्दर म्याद अपील प्रस्तुत है। अपील को पेश करने में कोई देरी हुई है तो देरी को क्षमा करने के लिये पृथक से धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अतः अपीलान्ट ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 486 ग्राम शाला का पुरा आदेश तारीखी 25.05.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में दस्जावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नामान्तकरण संख्या 486 बॉके ग्राम शाला का पुरा तहसील धौलपुर, नकल जमाबन्दी

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

सम्बत 2070 से 2073 खाता संख्या 53, 57, 58 ग्राम शाला का पुरा, एवं फोटोप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र अजानसिंह, फोटोप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र चेतराम पेश किये है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या–2 शारदादेवी बावजूद तामील सूचना उपस्थित नहीं होने पर उसके विरूद्व दिनांक 19.12.18 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं विद्वान राजकीय अभिभाषक सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ अधिकारी द्वारा नामान्तकरण आदेश पारित करने से पूर्व मृतक अजनसिंह के वारिसान की जांच नहीं की। नामान्तकरण मुताविक रिपोर्ट हल्का पटवारी एवं शिजरा के आधार पर स्वीकार किया है जबकि नामान्तकरण पंजिका पर अंकित शिजरा में रेस्पोडेन्ट संख्या–2 शारदा को मृतक चेतराम की पत्नी अंकित किया है और नामान्तकरण पंजिका के कॉलम संख्या–7 में अजनसिंह के नाम का अंकन है तथा मृतक अजनसिंह के बजाय कॉलम संख्या–9 में रेस्पोडेन्ट संख्या–2 शारदा के नाम अवैध रूप से अंकन कर नामान्तकरण आदेश पारित कराया है जो कानून की निगाह में प्रारम्भ से ही शून्य है। नामान्तकरण पंजिका में अंकित रिपोर्ट आई एल आर बरैठा के मुताविक नामान्तकरण दिनांक 10.5.2015 को तस्दीक किया गया है जबकि मृतक अजनसिंह पुत्र नारायनसिंह का निधन दिनांक 30.4.2016 को हुआ है इससे यह स्पष्ट है कि अजनसिंह के जीवित रहते हुये साजिशन मृतक अजनसिंह की विरासत को अवैध रूप से नामान्तकरण आदेश पारित कराया है जो अपने आप में प्रारम्भ से ही शून्य है तथा काबिल निरस्ती के है। रैस्पो0 संख्या–2 मुताविक शिजरा अंकित नामान्तकरण पंजिका के मृतक चेतराम की पत्नी होना दर्शाया है न कि अजनसिंह की। अधीनस्थ अधिकारी द्वारा नामान्तकरण पंजिका पर परस्पर विरोधाभासी होने के बावजूद बिना जांच पडताल किये प्रकिया के विपरीत जाकर अनुचित रूप से नामान्तकरण आदेश पारित किया है जो कि तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। ज्ञान से अन्दर म्याद अपील प्रस्तुत है। अपील को पेश करने में कोई देरी हुई है तो देरी को क्षमा करने के लिये प्रथक से धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अतः अपील, अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कहा कि अगर नामान्तकरण तथ्यों के विपरीत है या गलत अंकन हो गया है तो ऐसे नामान्तकरण को तहसीलदार को जॉच हेतु रिमाण्ड किया जा सकता है। अपील को स्वीकार किये जाने में उन्होने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अधोपान्त अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि नामान्तकरण मुताविक रिपोर्ट हल्का पटवारी एवं शिजरा के आधार पर स्वीकार किया है जबकि नामान्तकरण पंजिका पर अंकित शिजरा

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

में रेस्पोडेन्ट संख्या–2 शारदा को मृतक चेतराम की पत्नी अंकित किया है और नामान्तकरण पंजिका के कॉलम संख्या–7 में अजनसिंह के नाम का अंकन है तथा मृतक अजनसिंह के बजाय कॉलम संख्या–9 में रेस्पोडेन्ट संख्या–2 शारदा के नाम का अंकन कर नामान्तकरण आदेश पारित किया है जो कानून की निगाह में शून्य है। नामान्तकरण पंजिका में अंकित रिपोर्ट आई एल आर बरैठा के मुताबिक नामान्तकरण दिनांक 10.5.2015 को तस्दीक किया गया है जबकि मृतक अजनसिंह पुत्र नारायनसिंह का निधन दिनांक 30.4.2016 को हुआ है, अपीलान्ट ने अजनसिंह के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति पेश की है जिससे इसकी पुष्टि होती है। रैस्पो0 संख्या–2 मुताबिक शिजरा अंकित नामान्तकरण पंजिका के मृतक चेतराम की पत्नी होना दर्शाया है न कि अजनसिंह की इससे यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ अधिकारी द्वारा नामान्तकरण आदेश पारित करने से पूर्व मृतक अजनसिंह के वारिसान की जांच नहीं की। अधीनस्थ अधिकारी द्वारा नामान्तकरण पंजिका पर परस्पर विरोधाभासी होने के बावजूद बिना जांच पडताल किये प्रकिया के विपरीत जाकर नामान्तकरण आदेश पारित किया है जो कि तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। इसप्रकार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से अपीलान्ट के कथनों की पुष्टि होती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है तथा नायब तहसीलदार मंनिया को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

अतः आदेश है कि अपील, अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का नामान्तकरण संख्या 486 दिनांक 25.05.2018 ग्राम शाला का पुरा तहसील धौलपुर निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण नायब तहसीलदार मंनिया को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक अजनसिंह के वारिसों की सही जॉच पडताल कर अपीलान्टस को सुनकर पुनः नियमानुसार नामान्तकरण आदेश पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय की प्रति नायब तहसीलदार मंनिया को भिजवाई जावे। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नरेन्द्र के0 वर्मा
अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर